



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP03474842645979V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

RAVINDER KUMAR GUPTA
L.NO.- 30

Acc- UP14084904/MODINAGAR/UP-GZB

Certificate No.	: IN-UP03474842645979V
Certificate Issued Date	: 02-Sep-2023 11:55 AM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14084904/ MODINAGAR/ UP-GZB
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1408490402380849431476V
Purchased by	: INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION AND HEALTH SCIENCE
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION AND HEALTH SCIENCE
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION AND HEALTH SCIENCE
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Please write or type below this line



प्रारूप- "अ"

समक्ष- सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

हम पी० एन० गर्ग अध्यक्ष, एवं सचिन शर्मा सचिव, क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव श्री
ज्वालाजी एजुकेशनल ट्रस्ट पता-16, मोहन पार्क मोदीनगर जनपद गाजियाबाद, शपथ पूर्वक
निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी ट्रस्ट द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन एंड हेल्थ साइंस, खसरा
नं० 584, मिल्क दुहाई जनपद गाजियाबाद, नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की
स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी ट्रस्ट के नाम खसरा नं० 584, मिल्क दुहाई जनपद गाजियाबाद में
गाटा सं० 584, कुल रकबा .9940 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद किसी भी न्यायालय
में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं० 584 रकबा .9940
हेक्टेयर, पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने
का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 03/04/2019 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु
भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस
पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत
किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया,
नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया
जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित
एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही
पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया,
नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध
संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा
अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/ आई०टी०आई०
आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया
जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं
कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक
शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती
गायादनी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा/करूंगी। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित, अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

हो सचिव

हो अध्यक्ष



Advocate/Notary Public,
0-209/23